भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 316

सोमवार, 11 अगस्त, 2025 / 20 श्रावण, 1947 (शक)

गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण

***316 श्री पी. पी. चौधरी:**

श्री दामोदर अग्रवालः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत से अब तक इस पर पंजीकरण की समग्र स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों का राज्य-वार और महिला/पुरुष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सबसे अधिक पंजीकरण करने वाले शीर्ष दस राज्यों की सूची का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण को और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या राज्यों को उक्त पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए कोई लक्ष्य दिया गया है और यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने में राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**** *****

"गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण" के संबंध में श्री पी. पी. चौधरी और श्री दामोदर अग्रवाल द्वारा दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 316* के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार से जुड़े असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) शुरू किया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) जारी करके उनका पंजीकरण और सहयोग करना है।

दिनांक 3 अगस्त 2025 तक, 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 3.37 लाख से अधिक कामगार प्लेटफ़ॉर्म कामगार के रूप में पंजीकृत हैं। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का राज्यवार और महिला-पुरुष-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

ई-श्रम पर सर्वाधिक संख्या में पंजीकरण करने वाले 10 राज्यों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण को बढ़ावा देने और असंगठित कामगारों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठक आयोजित करना।

ii. कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के साथ नियमित बैठक करना।

iii. रोजगार और कौशल अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

iv. सरकारी योजनाओं की एक ही स्थान पर खोज और जानकारी प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को माईस्कीम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

v. जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान।

vi. ई-श्रम पर पंजीकरण के लिए कामगारों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है। असंगठित कामगारों को सहायता प्रदान कर पंजीकरण कराने की सुविधा के लिए राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और सामान्य सेवा केंद्रों की सेवाओं को शामिल किया गया है।

vii. ई-श्रम योजना के कार्यान्वयन और प्रचार-प्रसार के लिए पंजीकरण शिविर और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। ये शिविर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) और राज्य श्रम विभाग के समन्वय से आयोजित किए जाते हैं।

असंगठित कामगारों के पंजीकरण लक्ष्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा वर्ष 2017-18 में किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए पंजीकरण की लक्षित संख्या राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर तय की गई है।

दिनांक 3 अगस्त 2025 तक, ई-श्रम पर पंजीकरण की लक्षित संख्या प्राप्त करने में राज्यवार प्रगति अनुलग्नक-III में दी गई है।

अनुबंध-I

"गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण" के संबंध में दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 316* के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 03.08.2025 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का राज्यवार और महिला-पुरुष-वार ब्यौरा:-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पंजीकृत महिला	पंजीकृत पुरुष	अन्य पंजीकृत
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	17,241	17,202	-
2	आंध्र प्रदेश	47,93,518	38,22,367	718
3	अरुणाचल प्रदेश	1,22,222	87,659	1
4	असम	40,62,809	36,50,273	107
5	बिहार	1,71,70,123	1,28,57,591	102
6	चंडीगढ़	94,648	93,801	8
7	छत्तीसगढ	47,64,801	38,38,092	91
8	दिल्ली	18,23,304	17,55,369	127
9	गोवा	51,801	31,164	2
10	गुजरात	57,58,903	64,18,817	153
11	हरियाणा	26,23,070	27,78,950	53
12	हिमाचल प्रदेश	10,97,545	9,05,810	26
13	जम्मू और कश्मीर	16,87,419	19,11,385	44
14	झारखंड	54,16,583	42,77,689	177
15	कर्नाटक	63,24,216	45,62,606	744
16	केरल	36,53,096	24,12,848	167
17	लद्दाख	17,228	17,456	-
18	लक्षद्वीप	1,099	1,744	-
19	मध्य प्रदेश	93,58,816	95,69,475	200
20	महाराष्ट्र	98,69,773	79,83,582	748
21	मणिपुर	2,89,649	1,74,006	90
22	मेघालय	2,29,627	1,22,738	3
23	मिजोरम	40,327	31,923	-
24	नागालैंड	1,34,179	1,04,130	8
25	ओडिशा	71,07,139	64,98,502	1,147
26	पुदुचेरी	1,08,818	85,923	35
27	पंजाब	33,34,174	25,28,544	82
28	राजस्थान	78,33,643	70,70,167	101
29	सिक्किम	25,164	23,615	1
30	तमिलनाडु	59,42,808	33,69,800	1,249
31	तेलंगाना	22,27,863	23,13,956	385
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	39,699	35,704	1
33	त्रिपुरा	4,33,545	4,62,677	47
34	उत्तर प्रदेश	4,41,33,909	3,98,44,839	471
35	उत्तराखंड	17,26,307	13,59,870	18
36	पश्चिम बंगाल	1,43,99,209	1,20,81,375	636

अनुबंध-II

"गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण" के संबंध में दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 316* के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 03.08.2025 तक ई-श्रम पोर्टल पर सबसे अधिक पंजीकरण दर्ज करने वाले शीर्ष दस राज्यों की सूची का ब्यौरा:

क्र. सं	**राज्य**	**कुल पंजीकृत**
1	उत्तर प्रदेश	8,39,79,219
2	बिहार	3,00,27,816
3	पश्चिम बंगाल	2,64,81,220
4	मध्य प्रदेश	1,89,28,491
5	महाराष्ट्र	1,78,54,103
6	राजस्थान	1,49,03,911
7	ओडिशा	1,36,06,788
8	गुजरात	1,21,77,873
9	कर्नाटक	1,08,87,566
10	झारखंड	96,94,449

अनुबंध-III

"गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण" के संबंध में दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 316* के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 03.08.2025 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की लक्षित संख्या प्राप्त करने में राज्यवार प्रगति:-

क्र. सं	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	लक्ष्य	कुल पंजीकृत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,16,770	34,443
2	आंध्र प्रदेश	1,50,92,950	86,16,605
3	अरुणाचल प्रदेश	4,39,728	2,09,883
4	असम	99,69,971	77,13,190
5	बिहार	3,49,43,979	3,00,27,828
6	चंडीगढ़	3,24,372	1,88,453
7	छत्तीसगढ	82,42,144	86,02,990
8	दिल्ली	52,39,058	35,78,780
9	गोवा	4,44,150	82,964
10	गुजरात	1,78,84,271	1,21,77,875
11	हरियाणा	78,97,313	54,02,090
12	हिमाचल प्रदेश	20,86,547	20,03,380
13	जम्मू एवं कश्मीर	38,09,769	35,98,847
14	झारखंड	1,08,06,305	96,94,444
15	कर्नाटक	1,89,17,552	1,08,87,570
16	केरल	99,95,844	60,66,111
17	लद्दाख	80,926	34,684
18	लक्षद्वीप	20,491	2,843
19	मध्य प्रदेश	2,39,00,510	1,89,28,479
20	महाराष्ट्र	3,44,80,382	1,78,54,109
21	मणिपुर	8,65,632	4,63,745
22	मेघालय	9,42,678	3,52,368
23	मिजोरम	3,46,988	72,250
24	नागालैंड	6,29,914	2,38,317
25	ओडिशा	1,29,79,773	1,36,06,783
26	पुदुचेरी	3,95,791	1,94,778
27	पंजाब	84,39,584	58,62,795
28	राजस्थान	2,26,89,152	1,49,03,876
29	सिक्किम	1,93,270	48,780
30	तमिलनाडु	2,17,95,554	93,13,854
31	तेलंगाना	1,07,83,075	45,42,201
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1,72,402	75,405
33	त्रिपुरा	11,67,542	8,96,269
34	उत्तर प्रदेश	6,66,07,163	8,39,79,263
35	उत्तराखंड	31,50,240	30,86,185
36	पश्चिम बंगाल	2,78,90,604	2,64,81,229

*****